



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 186-2019/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, NOVEMBER 4, 2019 (KARTIKA 13, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 04 नवम्बर, 2019

संख्या 22/76/2003-2परि(1).- मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 67 की उपधारा (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या 22/76/2003-2परि (1), दिनांक 30 जून, 2016 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकरण, हरियाणा को/हरियाणा राज्य में मंजिली गाड़ियों के लिये किराये और माल-भाड़े की दरों को नियत करने सम्बन्धी निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं, अर्थात्-

### निर्देश

राज्य परिवहन प्राधिकरण, हरियाणा को/इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि राज्य में मंजिली गाड़ियों के लिये किराये और माल-भाड़े की निम्नलिखित दरें नियत करें:-

क्रम संख्या	सेवा की किस्म	सकल किराया (यात्री कर के उपरान्त) पैसा/प्रति यात्री प्रति किलोमीटर	व्यक्तिगत सामान का भाड़ा
1	2	3	4
1	मैदानी क्षेत्र में सभी पक्की सड़कों हेतु	85.00	प्रति किलोमीटर प्रति 40 किलोग्राम के लिये आधा भाड़ा
2	उष्मादार, हवादार और वातानुकूलित बसों हेतु	127.50	
3	अंतर्राज्यीय आराम-देय वातानुकूलित बसों हेतु	148.75	
4	आरामदेय वातानुकूलित बसों हेतु (चण्डीगढ़-दिल्ली-गुडगांव मार्गों पर संचालित)	200.00	

## ब्याख्या:-

1. मार्गों के विभिन्न प्रक्रमों के लिये (यात्री कर सम्मिलित करने के पश्चात्) संगणित किराये को अगले एक रुपये तक पूर्णांकित किया जायेगा।
2. न्यूनतम प्रभार्य किराया (यात्री कर सम्मिलित करने के पश्चात्) पांच रुपये होगा।
3. आधे किलोमीटर से कम के भाग को नहीं गिना जायेगा।

त्रिलोक चन्द गुप्ता,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
परिवहन विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**TRANSPORT DEPARTMENT**

**Notification**

The 4th November, 2019

**No. 22/76/2003-2T(1).**— In exercise of the powers conferred by clause (i) of Sub section (1) of Section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988) and in supersession of Haryana Government, Transport Department, Notification No. 22/76/2003-2T(I), dated the 30th June, 2016, the Governor of Haryana hereby issues following directions to the State Transport Authority, Haryana, regarding fixation of rates of fare and freights for stage carriage in the State of Haryana, namely:-

**DIRECTIONS**

The State Transport Authority, Haryana is hereby directed to fix the following rates of the fare and freights for stage carriage in the State:-

Serial Number	Type of services	Gross fare (after passenger tax) Paise/Passenger per Kilometer	Freight for personal luggage
1	2	3	4
1	All metalled roads in plains	85.00	Half the fare per kilometer per 40 Kilograms.
2	Heating, Ventilating and Air Conditioning Buses	127.50	
3	Intra-state Luxury Air Conditioned Buses	148.75	
4	Luxury Air Conditioned Buses (Operating on Chandigarh-Delhi-Gurgaon route)	200.00	

**Explanations:-**

1. Fare calculated (after including passenger tax) for different stages of routes shall be rounded off to the next higher rupee.
2. The minimum chargeable fare (after including passenger tax) shall be five rupees.
3. The fraction below half a kilometer shall be ignored.

TRILOK C. GUPTA,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Transport Department.